



आने वाले सामान्य चुनाव में आप यहाँ बताए गए 3 तरीकों से मतदान कर सकते हैं...

1. डाक-द्वारा-मतदान हेतु मतपत्र



पंजीकृत मतदाता **डाक-द्वारा-मतदान** हेतु मतपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें **VOTE.NJ.GOV** पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा या अपने काउंटी क्लर्क से संपर्क करना होगा।

फिर, मतदान करें और अपना मतपत्र निम्न में से किसी एक तरीके से वापस करें...

- **डाक द्वारा:** आपका डाक-द्वारा-मतदान हेतु मतपत्र **8 नवंबर को शाम 8:00** बजे से पहले डाक की मोहर के साथ **अवश्य** भेजा जाना चाहिए और 14 नवंबर को या उससे पहले आपके काउंटी के चुनाव बोर्ड को प्राप्त हो जाना चाहिए।
- **सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स:** अपने डाक-द्वारा-मतदान हेतु मतपत्र को 8 नवंबर को शाम 8:00 बजे तक अपने काउंटी के सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में रखें। ड्रॉप बॉक्स स्थान का पता **VOTE.NJ.GOV** पर लगाया जा सकता है।
- **चुनाव कार्यालय बोर्ड:** 8 नवंबर शाम 8:00 बजे तक अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय बोर्ड में उसे व्यक्तिगत रूप से जमा करें। काउंटी चुनाव अधिकारी की संपर्क जानकारी का पता **VOTE.NJ.GOV** पर लगाया जा सकता है।

2. व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग



यह विकल्प सभी पंजीकृत मतदाताओं को **चुनाव के दिन से पहले नौ दिनों की अवधि के दौरान वोटिंग मशीन के जरिए निजी तौर पर अपना मतदान करने का अवसर देता है।** अब आप अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से वोट दे सकते हैं।

चाहे आप काउंटी में कहीं भी रहते हों, आप **अपनी** काउंटी के लिए निर्धारित किसी भी व्यक्तिगत और शुरुआती वोटिंग स्थान पर अपना वोट दे सकते हैं। **VOTE.NJ.GOV** पर अपनी काउंटी के स्थान का पता लगाएँ।

व्यक्तिगत रूप से प्रारंभिक मतदान के लिए निर्धारित स्थान **शनिवार, 29 अक्टूबर से रविवार, 6 नवंबर** तक खुले रहेंगे। निर्धारित अवधि **सोमवार से शनिवार, सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, तथा रविवार, सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे**

तक होगी। विकलांग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

3. आपके मतदान स्थल पर सामान्य चुनाव के दिन



8 नवंबर को चुनाव के दिन अपने मतदान स्थल पर सुबह 6:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक **व्यक्तिगत रूप से** मतदान करें। विकलांग लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

अपने पोलिंग स्टेशन के लिए **VOTE.NJ.GOV** पर जाएं जो कि पोलिंग लोकेशन पेज पर सूचीबद्ध है।

ध्यान दें: डाक-द्वारा-मेल मतपत्र को आपके आरंभिक वोटिंग स्थान या पोलिंग स्टेशन पर लौटाया नहीं जा सकता है।



गवर्नर Phil Murphy
राज्य सचिव Tahesha Way

1-877-NJ-VOTER (1-877-658-6837)
Vote.NJ.Gov